रेल दावा न्यायाधिकरण
जयपुर न्यायपीठ
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
JAIPUR BENCH

वाद संख्या :ओ.ए./IIU/57/2020

पीठासीन: उमेश कुमार शर्मा सदस्य (न्यायिक)

संस्थन की तिथि: 06.03.2020
निर्णय की तिथि: 14.03.2024

1. कमली देवी आयु 66 वर्ष
   पत्नी श्री हनुमान सहाय प्रजापति,
2. हनुमान सहाय प्रजापति आयु लगभग 68 वर्ष
   पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द,

   निवारीयान– लालसोट रोड, नागौरी मोहल्ला,
   दौसा, राजस्थान ......वादीगण

वनाम

भारत संघ,
द्वारा महाप्रबंधक,
उत्तर–पश्चिम रेलवे,जयपुर ....प्रतिवादी

दावा राशिः रूपए 12,00,000/– मय ब्याज

उपस्थित: वादीगण के लिए– श्री मनमोहन गुप्ता, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए–श्री मोहन लाल रोलानिया, अधिवक्ता

निर्णय
JUDGEMENT

श्री उमेश कुमार शर्मा, (सदस्य न्यायिक)

1. वादीगण ने याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा – 16 के अन्तर्गत प्रकाश प्रजापति की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर) के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कुल

Scanned with OKEN Scanner

रूपए 12,00,000/- एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. दावा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार मृतक श्री प्रकाश प्रजापति (स्व0 अविवाहित पुत्र वादीगण) कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षा की जयपुर में कोचिंग/तैयारी कर रहा था। प्रकाश प्रजापति दिनांक 31.08.2019 को वादीगण व अपने परिजनों से मिलने जयपुर से दौसा की यात्रा हेतु यात्री गाडी संख्या 54833 (जयपुर हिसार पैसेन्जर) में द्वितीय श्रेणी के वैध रेल यात्रा टिकिट पर सवार हुआ। उक्त यात्री गाडी के साधारण डिब्बों में यात्रिओं की अत्यधिक भीड के कारण प्रकाश प्रजापति को साधारण डिब्बे के दरवाजे के निकट खडे होने का स्थान मिला। यात्रा के दौरान उक्त यात्री गाडी जब दौसा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी तभी यात्रियों की भीड के कारण व झटका लगने से प्रकाश प्रजापति दुर्घटनावश दौसा रेलवे स्टेशन से पूर्व किलोमीटर सं. 180/1 पर चलती गाड़ी से दिनांक 31.08.2019 की रात्रि में गिर गया जिससे उसे अत्यधिक गंभीर चोटें आई और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। तत्पश्चात् घटनास्थल से गुजर रही अन्य यात्री गाडी के चालक द्वारा घटनास्थल पर मृतक का शव पडे होने की सूचना स्टेशन अधीक्षक, दौसा को दी, जिस पर स्टेशन अधीक्षक द्वारा जरिये मीमो पुलिस थाना जीआरपी, बांदीकुई को दिनांक 31.08.2019 को उक्त घटना की सूचना प्रेषित की गई। जीआरपी को लिखित मीमो प्राप्त होने के बाद उक्त घटना की प्राथमिकी मृग संख्या 24/2019 दिनांक 01.09.2019 अन्तर्गत धारा 174 सीआरपीसी दर्ज की गई। तत्पश्चात् उक्त पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो मृतक का नाम व पता अज्ञात होने से मृतक के वारिसान की तलाश में मृतक का शव राजकीय सामान्य अस्पताल, दौसा में सुरक्षित रखवाया। उक्त पुलिस द्वारा अज्ञात मृतक की शिनाख्तगी बावत् उक्त अप्रिय घटना की सूचना स्थानीय समाचार पत्रिका दैनिक दौसा भास्कर तथा दैनिक दौसा पत्रिका में दिनांक 02.09.2019 को प्रकाशित करवाई। इस बीच जब मृतक 31.08.2019 की

Scanned with OKEN Scanner

रात्रि को घर नही पहुंचा तो घर वालों ने अंदाजा लगाया किसी मित्र के पास रूक गया होगा। लेकिन 01.09.2019 को भी घर नहीं पहुंचा तो घरवालों ने इधर–उधर जानकारी की, लेकिन मृतक की कोई भी जानकारी नहीं मिली। तत्पश्चात् स्थानीय समाचार पत्रिका में प्रकाशित उक्त समाचार को पढकर व मृतक के दांये का एक अंगुठा व दो अंगुलियां कटे होने तथा हाथ पर ओम गुदा होने से मृतक के परिजनों ने उक्त पुलिस से सम्पर्क किया व दौसा स्थित अस्पताल में पहुंच कर दिनांक 02.09.2019 को मृतक प्रकाश प्रजापति पुत्र श्री हनुमान सहाय प्रजापति होना शिनाख्त किया। तत्पश्चात् उक्त पुलिस ने दिनांक 02.09.2019 को मृतक का फर्द सूरतहाल व फर्द पंचायतनामा तैयार किया एवं राजकीय सामान्य चिकित्सालय, दौसा में मेडिकल ज्यूरिस्ट से मृतक का शव परीक्षण करवाया तथा परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिया।

3. प्रतिवादी ने लिखित कथन में दावा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को इनकार करते हुए कथन किया कि सभी कथन क्लेमेन्ट ने झूठे मनगढन्त व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। दिनांक 31.08.2019 को चालक श्री कमल सिंह अपनी ड्यूटी के दौरान समय लगभग 20.05 बजे गाडी को लेकर दौसा स्टेशन 180/1 दौसा डाउन लाईन पर एक व्यक्ति की डेडबॉडी पडी हुई है जिसकी सूचना वॉकी टॉकी से ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर, दौसा श्री हरीमोहन गुप्ता को दी। स्टेशन मास्टर ने सूचना प्राप्त होने पर रा.रे.पु. को आवश्यक कार्यवाही हेतु मीमो जारी किया गया। डेडबॉडी पडे होने की सूचना डीएन–डीएलई चालक के अलावा किसी भी गाडी के चालक या गार्ड द्वारा नहीं दी गई। गाडी संख्या 54833 में दिनांक 31.08.2019 को बतौर लोको पायलेट कार्यरत नरेन्द्र कुमार व गार्ड रामजीलाल मीणा ने जांच के दौरान दिये बयानों मे कथन किया है कि उनकी ड्यूटी के दौरान जयपुर से बांदीकुई तक किसी व्यक्ति के गिरने, टकराने या रनऑवर होने के संबंध में उनको कोई जानकारी नहीं है तथा दिनांक 31.08.2019 को किमी. संख्या 180/1 के मध्य गाडी मे कोई

Scanned with OKEN Scanner

झटका या जर्क नही लगा था। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मृतक को गाडी संख्या 54833 मे यात्रा करते व गाड़ी से गिरते हुए किसी भी व्यक्ति, रेल कर्मचारी या किसी स्वतंत्र गवाह ने नहीं देखा बल्कि मृतक की लाश डाउन लाईन पर पडी हुई थी, जो सभंवतया मृतक कि मौत रेल लाईन पार करते समय किसी गाडी की चपेट में आने से चोटों के कारण हुई है। आर. पी.एफ. को सूचना देने पर कांस्टेबल कालूराम मीणा मौके पर पहुचंने के बाद बाद हेड कांस्टेबल गोपाल जीआरपी मय स्टाफ मौके पर आए तथा मृतक की कालूराम मीणा के सामने तलाशी ली गई मृतक के पास कोई टिकिट या पहचान संम्बन्धी दस्तावेज नहीं मिला उपरोक्त तथ्यों से भी स्पष्ट है कि मृतक के पास यात्रा का कोई टिकट नहीं था तथा मृतक को गाडी से गिरते हुए किसी व्यक्ति नहीं देखा। घटना रेल अधिनियम 1989 कि धारा 123 (2) ग के तहत अनापेक्षित घटना कि श्रेणी मे नहीं आती है तथा मृतक रेल अधिनियम कि धारा 2 (29) के तहत सदभावी यात्री नही होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

4. पक्षकारों के अभिवचनों व दस्तावेजो के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए दिनांक 26.03.2021 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित गये:

1) क्या मृतक प्रश्नगत रेल गाड़ी का सद्भावी यात्री था ?

2). क्या मृतक की मृत्यु से सम्बन्धित घटना रेलवे अधिनियम की धारा – .123 (सी) सपठित धारा 124 – ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है ?

3) क्या वादीगण मृतक के आश्रित हैं ?

4) वादीगण किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी है ?

5. क्लेम प्रार्थना पत्र के समर्थन में मृतक की पिता श्री हनुमान सहाय ने स्वयं का शपथ पत्र (एडब्ल्यू – 1) मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारावादी से दिनांक 18.10.2022 को प्रति परीक्षण

Scanned with OKEN Scanner

किया गया। इसके अतिरिक्त वादीगण की ओर से इस दावे के समर्थन में, साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज पेश किए गए :

क.स.	दस्तावेज	प्रदर्श
1.	प्रमाणित प्रति मीमो गय कर्यवाही पुलिस	प्रदर्श–1
2.	प्रमाणित प्रति रपट रोजनामचा जीआरपी बांदीकुई	प्रदर्श–2
3.	प्रमाणित प्रति समाचार बाबत् घटना प्रकाशित	प्रदर्श–3
4.	प्रमाणित प्रति फर्द शिनाख्ती मृतक	प्रदर्श–4
5.	प्रमाणित प्रति फर्द सूरतहाल लाश व फर्द पंचायतनामा	प्रदर्श–5
6.	प्रमाणित प्रति पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श–6
7.	प्रमाणित प्रति फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक	प्रदर्श–7
8.	प्रमाणित प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक	प्रदर्श–8
9.	सत्य प्रति आधार कार्ड मृतक	प्रदर्श–9
10.	सत्य प्रति आधार कार्ड (कमली देवी आधार कार्ड)	प्रदर्श–10
11.	सत्य प्रति आधार कार्ड (हनुमान सहाय प्रजापति आधार क	प्रदर्श–11
12.	सत्य प्रति परिवार राशन कार्ड वादीगण	प्रदर्श–12

6. प्रतिवादी रेलवे द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र, डीआरएम रिपोर्ट एवं उ0नि0, रे.सु.ब. बांदीकुईकी जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत की। प्रतिवादी रेलवे ने साक्ष्य के रूप में उप निरीक्षक विक्रम सिंह (RW-1) को पेश किया, जिससे वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15.12.2022 को प्रति परीक्षण किया गया तथा कालूराम मीणा हाल कार्यरत कानि. रे.सु.ब. (RW-2) को पेश किया, जिससे वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रति परीक्षण किया गया।

7. उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् विवाधकों की विवेचना इस प्रकार है :

निर्णय के कारण

Scanned with OKEN Scanner

वाद बिन्दु संख्याः– 01

8. वादीगण की ओर मृतक के पिता हनुमान सहाय प्रजापति द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि घटना के दिन मेरा पुत्र दिनांक 31.08.2019 को हमसे मिलने जयपुर से दौसा गाड़ी संख्या 54833 जयपुर हिसार पैसेन्जर ट्रेन के द्वितीय श्रेणी का वैध टिकट लेकर आ रहा था, परन्तु उसका यात्रा टिकट इस आकस्मिक घटनाक्रम में कहीं गिरकर गुम हो गया या नष्ट हो गया। घटना के दिन वह सद्भावी यात्री था।

9. प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस के कथन किया कि घटना दिनांक 31.08.2019 को मृतक प्रकाश प्रजापति के पास से कोई वैध रेल यात्रा प्राधिकार पत्र/टिकट प्राप्त नहीं हुआ था एवं ना ही मृतक को रेल यात्रा करते किसी ने देखा मृतक रेल का सद्भावी यात्री नहीं था, इसलिए मृतक प्रकाश प्रजापति रेल अधिनियम 1989 की धारा 2(29) के यात्री की परिभाषा में नहीं आता है।

10. यहां यह उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 (29) में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 2 (29) – यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

11. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन के उपरान्त वादीगण की ओर से मृतक के पिता हनुमान सहाय प्रजापति द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मृतक घटना के दिन टिकट लेकर यात्रा कर रहा था, परन्तु इस आकस्मिक घटनाक्रम में टिकट कहीं गिर गया अथवा नष्ट हो गया। इस संबंध में मृतक के पिता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण में टिकट के संबंध में किसी प्रकार का कथन नहीं किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

12. इस तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी रेलवे की ओर से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत आरडब्ल्यू -1 कालूराम जिसके समक्ष घटना स्थल पर पुलिस कार्रवाई हुई थी उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में यह तथ्य प्रस्तुत किए गए है कि "मेरी ड्यूटी दिनांक 31.08.2019 को 16.00 बजे से 24.00 बजे की पारी में रेलवे स्टेशन दौसा पर थी। समय करीबन 20.00 बजे आन ड्यूटी स्टेशन मास्टर दौसा श्री हरिमोहन गुप्ता ने फोन पर सूचना दी कि कि.मी. 180/1 पर एक डेड बॉडी पड़ी है उक्त सूचना पर मैं कि.मी. 180/1 पर पहुंचा व देखा कि डाउन लाईन पर एक डेड बॉडी पड़ी थी। मेरे पहुंचने के बाद जीआरपी बांदीकुई के हैड कानि0 गोवर्धन लाल मय स्टाफ पहुंचे जिनकी द्वारा मौके की कानूनी कार्यवाही के दौरान डेडबॉडी की तलाशी लेने पर कोई यात्रा टिकट व पहचान पत्र व एमओएस आदि कुछ नहीं मिला था"।

13. इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श ए-5 फर्द सूरत हाल लाश व फर्द पंचायतनाम की कार्रवाई के दौरान भी मृतक के पास से किसी प्रकार की यात्रा टिकट मृतक से बरामद नहीं हुई थी।

14. इसके अतिरिक्त वादीगण की ओर से किसी प्रकार कि ऐसी कोई साक्ष्य या सहयात्री को भी प्रस्तुत नहीं किया जिसने मृतक को टिकट दिलवाया हो या टिकट लेकर यात्रा करते हुए देखा हो या जिससे यह प्रतीत होता हो कि मृतक घटना के दिन टिकट लेकर ही यात्रा कर रहा था। प्रतिवादी इस तथ्य को साबित करने में पूर्णतः सफल हुए है कि दुर्घटना के समय मृतक के पास वैध यात्रा टिकट नहीं था। अतः वाद बिन्दु संख्या 1 तदानुसार सकारात्मक रूप से प्रतिवादी रेलवे के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

<u>वाद बिन्दु संख्याः- 02</u>

Scanned with OKEN Scanner

15. इस वाद बिन्दु के अन्तर्गत इस तथ्य का विनिश्चय किया जाना है कि क्या प्रश्नगत दुर्घटना में हुई मृतक की मृत्यु अनपेक्षित रेल दुर्घटना की परिधि में आती है।

16. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि मृतक प्रकाश प्रजापति दिनांक 31.08.2019 अपने परिजनों से मिलने जयपुर से दौसा की यात्रा हेतु यात्री गाडी संख्या 54833 (जयपुर हिसार पैसेन्जर) में द्वितीय श्रेणी के वैध रेल यात्रा टिकिट पर सवार हुआ। उक्त यात्री गाड़ी के साधारण डिब्बों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के कारण व झटका लगने से प्रकाश प्रजापति दुर्घटनावश दौसा रेलवे स्टेशन से पूर्व किलोमीटर 180/1 पर चलती गाड़ी से दिनांक 31.08.2019 की रात्रि में गिर गया जिससे अत्यधिक गंभीर चोटें आई और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

17. प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि दिनांक 31.08.2019 को चालक श्री कमल सिंह अपनी ड्यूटी के दौरान समय लगभग 20.05 बजे गाडी को लेकर दौसा स्टेशन 180/1 दौसा डाउन लाईन पर एक व्यक्ति की डेडबॉडी पडी हुई है जिसकी सूचना वॉकी टॉकी से ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर, दौसा श्री हरिमोहन गुप्ता को दी। स्टेशन मास्टर ने सूचना प्राप्त होने पर रा.रे.पु. को आवश्यक कार्यवाही हेतु मीमो जारी किया गया। डेडबॉडी पडे होने की सूचना डीएन–डीएलई चालक के अलावा किसी भी गाडी के चालक या गार्ड द्वारा नहीं दी गई। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मृतक को गाडी संख्या 54833 मे यात्रा करते व गाड़ी से गिरते हुए किसी भी व्यक्ति, रेल कर्मचारी या किसी स्वतंत्र गवाह ने नहीं देखा, बल्कि मृतक की लाश डाउन लाईन पर पडी हुई थी, जो संभवतः मृतक कि मौत रेल लाईन पार करते समय किसी गाडी की चपेट में आने से चोटों के कारण हुई है। अंत में न्यायालय से वादीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

18. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (ग) अप्रत्याशित घटना को परिभाषित करती है। रेल दावा अधिनियम, 1989 की धारा 123(ग)(2) के अंतर्गत

Scanned with OKEN Scanner

अप्रत्याशित घटना का तात्पर्य है– "यात्रियों को वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना"

19. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया कि मृतक को घटना के दिन चलती ट्रेन से नीचे गिर जाने के संबंध में कोई चश्मदीद गवाह भी सामने नहीं आया, जबकि मूल क्लेम याचिका में वादीगण द्वारा अंकित तथ्य कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर उक्त यात्री गाड़ी में सवार होते समय उसके साधारण डिब्बों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के कारण प्रकाश प्रजापति को एक साधारण डिब्बे के दरवाजे के निकट खड़े होने का स्थान मिला, यदि मृतक वास्तव में चलती ट्रेन से यात्रियों के भीड़ के कारण एवं झटका लगने से नीचे गिरा होता तो उसे अन्य यात्रियों द्वारा देखा जाता। किसी रेल कर्मचारी या स्वतंत्र गवाह द्वारा घटना की सूचना दी जाती या चैन पुलिंग की जाती परन्तु जिस गाड़ी से वादीगण मृतक की यात्रा करना बता रहे है उस गाड़ी के लोको पायलेट एवं गार्ड द्वारा भी किसी प्रकार की घटना होने से इनकार किया है।

20. घटना के दिन मृतक प्रकाश प्रजापति द्वारा अपने पिता से जयपुर से दौसा आने के लिए कहकर गया था, वादी दौसा का ही रहने वाला है, परन्तु मृतक द्वारा उसके माता पिता को जयपुर से दौसा आने के लिए कहकर जाने के उपरांत भी उन्हें मृतक के मृत हो जाने के संबंध में सूचना दो तारीख को मिलना न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण के दौरान सामने आया है। इसी प्रकार मृतक के परिवार जनों द्वारा मृतक के घटना वाले दिन घर पर नहीं आने पर किसी प्रकार की कोई गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई गई जबकि, उन्हें मृतक के साथ हुई घटना की सूचना अखबार के द्वारा प्राप्त हुई थी। उपरोक्त दोनों कथन आपस में विरोधाभारी हैं।

21. वादी के अधिवक्ता ने अपनी क्लेम याचिका के समर्थन में पार्वती माणिकराव वोम्बल बनाम भारत संघ (बांबे हाईकोर्ट एफ ए नंबर 23/2020, श्रीमती

Scanned with OKEN Scanner

जयश्रीसुरेश भारत बनाम भारत संघ एफ ए नंबर 723/2028) वाले मामलों में दिए गए निर्णय दिए जो कि प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में चस्पा नहीं होते हैं। दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा (श्रीमती कमला देवी बनाम भारत संघ एस बी मिस्लेनियस अपील नंबर 3081/2018) वाले मामले में यह प्रतिपादित किया गया कि रेलवे दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दावा दावा दावा अस्वीकार किया गया औचित्य शव से कोई टिकिट बरामद नहीं हुआ– मृतक की पत्नी का कथन कि मृतक ने टिकिट लिया था किन्तु पति के साथ यात्रा नहीं कर रहा था। मृतक समीप के ही क्षेत्र का निवासी जो रेल से कुचल कर मर गया होगा।

22. जीआरपी बांदीकुई द्वारा प्रकरण की मर्ग संख्या 24/2019 दर्ज कर धारा 174 के तहत जो नतीजा प्रस्तुत किया है उसमें मृतक के रेल लाईन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से आई चोटों के कारण मृत्यु होना प्रमाणित पाया गया अंकित है। मृतक का शव भी डाउन लाईन पर पड़ा मिला है जो इसी ओर इंगित करता है कि मृतक ट्रेन से रनओवर हो जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि मृतक प्रकाश प्रजापति के साथ दुर्घटना यात्री गाड़ी के डिब्बे में से नीचे गिरने के कारण नहीं हुई है। यह विवाद्यक रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123(ग)(2) के अंतर्गत अनपेक्षित घटना की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद बिन्दु संख्या:: 3 & 4:

23.. विवाधक संख्या 01 एवं 02 के विवेचन के परिणाम स्वरूप विवाधक संख्या 03 एवं 04 का विवेचन करना उचित प्रतीत नहीं होता है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत यह क्लेम याचिका निरस्त की जाती है। उपरोक्त विवाधक तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

ORDER

वादीगण का क्षतिपूर्ति का प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार निरस्त किया जाता है। रजिस्ट्री को रेल दावा अधिकरण (प्रकिया) नियम, 1989 के नियम 34(3) के अनुसार पक्षकारों को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति निःशुल्क भेजने के निर्देश दिए जाते हैं।

इस मामले के तथ्य व परिस्थितियों में, तथापि खर्चे के कोई आदेश नहीं है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज यानी कि दिनांक 14.03.2024 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मुहर सहित सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
रेदाअ/जयपुर पीठ

Scanned with OKEN Scanner